प्रकाशन हेतु अनुमोदित

"उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आवंटित"

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपूर (खंडपीठ)

अपील अन्तर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

दाण्डिक अपील क्रमांक- 1294/2000

प्रमोद सिंह उर्फ राजू आत्मज रामसिंह,
आयु- 28 वर्ष, पेशा- फर्नीचर का,
निवाली- स्टेशन पारा, वार्ड नंबर 9 , राजनांदगाँव,
थाना व जिला- राजनांदगाँव (म०प्र०) ----- अपीलार्थी (जेल में)

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा आरक्षी केन्द्र लालबाग,
जिला - राजनांदगाँव (म०प्र०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि-	**दंड**
धारा 394, 397 तथा 302 भारतीय दंड संहिता	सात वर्ष का कठोर कारावास, रूपये 200/-200/- अर्थदंड, आजीवन कारावास तथा 2000/- रूपये अर्थदंड। अर्थदंड न दिये जाने पर पन्द्रह दिन एवं तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

XI-HC-78

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

मामला क्रमांक दाण्डिक अपील 1294/सन् 2000

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	खंडपीठ: **माननीय न्यायमूर्तिगण श्री एल.सी. भादू तथा श्री धीरेंद्र मिश्रा** **दिनांक: 20-2-2007** श्री के.के. सिंह, अधिवक्ता अपीलकर्ता हेतु। श्री डी.के. ग्वालरे, उप-शासकीय अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी हेतु। मौखिक निर्णय न्यायपीठ पर पारित किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू द्वारा: यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 69/99 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय दिनांक 24 अप्रैल, 2000 से व्यथित हो कर प्रस्तुत की गयी है जिसके अधीन माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 394 सहपठित धारा 397 के अधीन अपराध कारित करना प्रमाणित पाकर, उसे आजीवन कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम की स्थिति में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास एवं धारा 394 सहपठित 397 के अधीन सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹200/- का अर्थदंड तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम की स्थिति में अतिरिक्त 15 दिन का सश्रम कारावास के दंड से दण्डित किया गया है। अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतक सुभाष, रुंगटा चावल मिल में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। दिनांक 08-03-1999 को वह सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक की ड्यूटी पर था। रात्रि में जब वह सीढ़ियों के नीचे सो रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। समीप ही स्थित शिवनाथ चावल मिल में मुन्नालाल (अ०सा०-5) तथा चौकीदार कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) ड्यूटी पर थे। रात्रि लगभग 12 बजे अभियुक्त उक्त मिल में प्रवेश किया, जिसे कालिका प्रसाद श्रीवास्तव ने देखा था। अंततः अभियुक्त को मिल के बड़े पंखे के पास पकड़ कर एक शौचालय में बंद कर दिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम सुभाष बताया तथा कहा कि वह समीप के मिल में कार्य करता है। शिवनाथ चावल मिल के मालिक को घटना की सूचना दी गई। प्रातः अभियुक्त ने शौच के लिए बाहर जाने की अनुमति	

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मांगी, जिसे अस्वीकार किए जाने पर उसने आत्महत्या की धमकी दी। मिल मालिक को सूचना दी गई तो मालिक ने इन लोगों से दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोलते ही आरोपी सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। इसी बीच मालिक मिल में पहुंचा, तथा जब वहां उपस्थित लोग मालिक से चर्चा कर रहे थे, अभियुक्त अवसर पाकर वहां से भाग गया। घटना की सूचना महेन्द्र रुंगटा (अ०सा०-2) द्वारा पुलिस को दी गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि "वह रुंगटा चावल मिल का मालिक है तथा प्रातः 8 बजे उसे समीप के मिल मालिक संतोष अग्रवाल से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर को मुन्नालाल ने रात में पकड़ कर शौचालय में बंद कर दिया था परंतु सुबह दरवाजा खोलने पर वह व्यक्ति भाग गया तथा मेरे मिल के चौकीदार की हत्या कर दी गई है। वह मौके पर गया जहां सीढ़ियों के नीचे खून पड़ा था एवं सुभाष का शव जूट की बोरी से ढका हुआ मिला।"

उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति पर थाना प्रभारी, पुलिस थाना लालबाग द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। पंचानों को प्र०पी०-1 की सूचना देने के उपरांत, घटनास्थल से एक खून आलूदा छुरा, एक देशी शराब की बोतल, एक चादर, एक जोड़ी काले जूते, एक जूट की बोरी तथा एक खाली माचिस का डब्बा प्र०पी०-2 के अनुसार जब्त किया गया। घटनास्थल रुंगटा चावल मिल से एक काले रंग की एटलस साइकिल क्र० एम०पी० 320077, जिसके पीछे लाल पेंट से प्रमोद सिंह, स्टेशनपारा, वार्ड क्र० 9 अंकित था, को प्र०पी०-6 के अनुसार जब्त किया गया। पुलिस अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा मेमोरेंडम कथन प्र०पी०-8 में मृतक सुभाष के चप्पल तथा ₹400/- नकद की जानकारी उद्घाटित किया गया एवं अभियुक्त के निशानदेही पर ₹400/- नकद, चप्पल, एक पैंट तथा एक सैंडो बनियान प्र०पी०-47 के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त का नाखून भी काटकर प्र०पी०-10 के अनुसार जब्त किया गया। सुभाष के शव का पंचनामा विवेचना अधिकारी द्वारा प्र०पी०-14 के अनुसार तैयार किया गया। अभियुक्त का शिनाख्त कार्यवाही कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा कराया गया एवं शिनाख्त संबंधी ज्ञापन प्र०पी०-5, पी०-11, पी०-13, पी०-20 एवं पी०-21 तैयार किया गया। मृतक सुभाष के चप्पल का शिनाख्त कार्यवाही भी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा कराया गया एवं शिनाख्त ज्ञापन प्र०पी०-25 तैयार किया गया। सुभाष का शव परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव भेजा गया, जहाँ डॉ० एच०के० जोशी ने शव का परीक्षण कर यह अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं मार्मिक अंगों में पहुंची चोट थी तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। अभियुक्त के शरीर पर पाई गई चोट का परीक्षण डॉ० एस०के० मंडल द्वारा किया गया एवं रिपोर्ट प्र०पी०-18 तैयार किया गया। जब्त संपत्ति को रासायनिक परीक्षण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हेतु न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से रिपोर्ट प्र०पी०-23 प्राप्त किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र०पी०-26 तैयार किया गया। सीरम विज्ञानी का रिपोर्ट प्र०पी०-30 भी प्राप्त किया गया। विवेचना उपरांत, प्रकरण में अभियोग पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को उपार्पित किया गया तथा तत्पश्चात् वहाँ से यह प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को विचारण हेतु अंतरित किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध कथित आरोप को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 15 साक्षीगण का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन लिपिबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रस्तुत तथ्य को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि जब वह किसी कार्यवश जा रहा था, तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तत्पश्चात् उसके साथ मारपीट किया गया, उसे झूठे प्रकरण में फँसाया गया है एवं उसने हत्या नहीं किया है। उसने यह भी कथन किया कि शिनाख्त कार्यवाही से पूर्व उसे पुलिस थाना में साक्षीगण को दिखाया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पक्षकारगण के अधिवक्ताओं के श्रवण पश्चात्, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उपर्युक्त दंडादेश दिया गया।

हमने श्री के०के० सिंह, अधिवक्ता हेतु अपीलार्थी एवं श्री डी.के. ग्वालरे, उप-शासकीय अधिवक्ता हेतु राज्य/उत्तरवादी को सुना।

प्रारंभ में, श्री के०के० सिंह द्वारा सुभाष की हत्यात्मक मृत्यु पर कोई विवाद नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, डॉ० एच०के० जोशी (अ०सा०-7), जिन्होंने सुभाष का शव परीक्षण किया था, द्वारा कथन किया गया है कि गर्दन, छाती एवं पेट पर कटी हुई चोटें थीं, मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी, एवं मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव, आघात एवं मार्मिक अंगों को पहुंचाए गए नुकसान के कारण हुई थी। अतः यह सिद्ध होता है कि सुभाष की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

जहाँ तक अभियुक्त प्रमोद सिंह उर्फ राजू की सुभाष की हत्या में संलिप्तता का प्रश्न है, इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष अथवा चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, जो कि **(1994) 2 एस०सी०सी० 220** में प्रकाशित है, के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि -

> "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, वे समस्त परिस्थितियाँ जिनके आधार पर अभियुक्त के दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, न केवल पूर्णतः सिद्ध होना चाहिए, अपितु वे सभी परिस्थितियाँ निर्णायक

एवं केवल अभियुक्त के दोषिता की परिकल्पना के साथ संगत होना चाहिए। ऐसी कोई भी परिस्थिति किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्टीकरण योग्य नहीं होना चाहिए, सिवाय अभियुक्त के दोषिता के। साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में कोई भी युक्तिसंगत सम्भाव्य शेष न रहे। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि केवल न्यायालय का क्षोभ नहीं, बल्कि विधिसम्मत रूप से सिद्ध परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्यों का परीक्षण उतनी ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले सके।"

अब हम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे। यह निष्कर्षित करने हेतु कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने में सफल हुआ है, अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्ध करने का प्रयास किया है —

1. कि, अभियुक्त को शिवनाथ चावल मिल परिसर में मुन्नालाल (अ०सा०-5) और कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) द्वारा पकड़ा गया और शिनाख्त कार्यवाही में उनके द्वारा उसकी पहचान की गई;
2. कि, अभियुक्त की साइकिल घटनास्थल के पास से जब्त की गई;
3. कि, मृतक सुभाष का चप्पल अभियुक्त की निशानदेही पर उसके आवास से जब्त किया गया; एवं
4. कि, अभियुक्त के बनियान और पैंट पर मानव रक्त पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रथम परिस्थिति :

जहाँ तक प्रथम परिस्थिति का प्रश्न है, मुन्नालाल (अ०सा०-5) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना दिनांक को वह शिवनाथ चावल मिल, रेवाडीह में मिस्त्री के पद पर कार्यरत था और रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक ड्यूटी पर था। कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) वहाँ चौकीदार था। रात्रि लगभग 11 बजे वह कालिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ मिल के कार्यालय में बैठा हुआ था। रात्रि लगभग 12 बजे, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वहाँ आया। श्रीवास्तव ने किसी व्यक्ति की उपस्थिति महसूस की और उसे सूचित किया कि कोई व्यक्ति अंदर आया है, जिस पर उसने उत्तर दिया कि संभवतः हमारे ही लोग देवनाथ वगैरह होंगे। फिर चौकीदार श्रीवास्तव ने पुनः कहा कि जो व्यक्ति मिल में आया है, वह बाहर नहीं निकला है। इसके बाद यह साक्षी और श्रीवास्तव उसे देखने के लिए बाहर गए। उन्होंने देखा कि अभियुक्त

बनियान एवं चड्डी पहने हुए था। अभियुक्त मिल के बड़े पंखे के पास चला गया जहाँ से उसे बाहर निकाला गया, इस प्रक्रिया में कुछ हाथापाई भी हुई और पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम सुभाष बताया। तत्पश्चात यह साक्षी एवं श्रीवास्तव अभियुक्त को कार्यालय में लाए और अन्य व्यक्तियों को बुलाया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने जानकारी दी कि वह समीप के मिल में चौकीदार है और वह बिना किसी कार्य के वहाँ आया है। जब इस साक्षी ने उससे पूछा कि उसके बनियान पर खून के धब्बे कैसे लगे हैं, तो अभियुक्त ने जवाब दिया कि वह पेंटर का काम करता है, इसलिए बनियान पर पेंट के धब्बे हैं। तत्पश्चात, अभियुक्त को एक शौचालय में बंद कर दिया गया। अभियुक्त ने पानी माँगा, जो उसे पीने हेतु दिया गया। अभियुक्त प्रातः 6 बजे तक शौचालय में ही रहा। सुबह उसने शौच हेतु बाहर जाने की अनुमति माँगी, तब उसे बताया गया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो अभियुक्त ने आत्महत्या की धमकी दी। इस पर उसे थोड़े समय के लिए शौचालय से बाहर आने दिया गया, वह सीढ़ियों पर बैठ गया, उसने बीड़ी माँगी, जो उसे दी गई। इसके पश्चात मिल का मालिक आया, और जब यह लोग मालिक की ओर देखने लगे, तब अभियुक्त अवसर पाकर वहाँ से भाग गया। तत्पश्चात, अभियुक्त की पहचान शिनाख्त कार्यवाही में की गई और मेमोरेंडम प्र०पी०-10 तैयार किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) ने भी इस साक्षी (अ०सा०-5) के साक्ष्य की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि उक्त व्यक्ति को पकड़कर शौचालय में बंद किया गया था। परंतु परीक्षण के कंडिका 7 में उसने कथन किया है कि वह न्यायालय में अभियुक्त की पहचान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि कमजोर है और वह चश्मा का उपयोग करता है, परंतु चश्मा पहनने के बाद भी यह साक्षी अभियुक्त की पहचान करने में असमर्थ रहा है। अतः अब केवल मुन्नालाल (अ०सा०-5) का साक्ष्य ही विश्लेषण हेतु शेष रह जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि शिनाख्त कार्यवाही के आयोजन से पूर्व साक्षीगण को पुलिस थाना में अभियुक्त को दिखा दिया गया था, अतः शिनाख्त कार्यवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन पश्चात् हमारा यह अभिमत है कि साक्षीगण को पुलिस थाना में अभियुक्त को दिखा दिया गया था। परंतु, यदि शिनाख्त कार्यवाही को प्रमाणित नहीं भी माना जाए तब भी यदि कोई साक्षी अभियुक्त को न्यायालय में पहचानता है और न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसे अपराध घटित होने के समय अभियुक्त को पहचानने का पर्याप्त अवसर था, तो न्यायालय उस साक्षी पर भरोसा कर सकेगा। अतः, अब यह का प्रश्न है कि क्या मुन्नालाल (अ०सा०-5) अभियुक्त की पहचान उस समय कर पाने हेतु सक्षम था जब अभियुक्त को मिल में पकड़ा गया और

क्या अ०सा०-5 को घटना के समय अभियुक्त को पहचानने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में यदि हम अ०सा०-5 के उपर्युक्त साक्ष्य का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी ने स्पष्टतः कथन किया है कि उसने चौकीदार श्रीवास्तव के साथ मिलकर अभियुक्त को ढूंढा, वह मिल के बड़े पंखे के पीछे छिपा हुआ था जहाँ से उसे पकड़ा गया, उस स्थान पर उनके बीच कुछ हाथापाई भी हुई, फिर अभियुक्त को शौचालय में बंद कर दिया गया, वह प्रातः तक वहीं रहा, अभियुक्त के पानी माँगने पर उसे पानी भी दिया गया और प्रातः 6 बजे शौच जाने की अनुमति माँगने पर उसे कुछ समय के लिए बाहर निकाला गया, वह कुछ समय सीढ़ियों पर बैठा रहा और फिर अवसर पाकर भाग गया। इन परिस्थितियों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उक्त साक्षी को अभियुक्त की पहचान करने तथा उसे स्मरण रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ था। कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) ने भी उपर्युक्त साक्ष्य का आंशिक रूप से पुष्टि की है, यद्यपि वह न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करने में असफल रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि मुन्नालाल (अ०सा०-5) एवं कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) के साक्ष्यों में विरोधाभास है। अ०सा०-5 ने कथन किया है कि अभियुक्त को उसने मिल के बड़े पंखे के पीछे से बाहर निकाला था जबकि अ०सा०-6 ने कथन किया है कि अभियुक्त स्वयं उस स्थान से बाहर निकला और उसकी ओर भागा और जब उसने डंडा दिखाया तो अभियुक्त मुन्नालाल की ओर भाग गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परंतु हमें इस तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता। दोनों साक्षीगण (अ०सा०-5 एवं अ०सा०-6) का कथन रहा है कि अभियुक्त मिल के बड़े पंखे के पीछे छिपा हुआ था और उसके पश्चात वह बाहर आया। यहां तक कि अ०सा०-6 ने भी यह कथन किया है कि अभियुक्त एवं मुन्नालाल के बीच हाथापाई हुई थी, जैसा कि अ०सा०-5 ने भी कहा है। अतः दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर विरोधाभास नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि मुन्नालाल (अ०सा०-5) के न्यायालयीन कथन में कुछ अभिवृद्धि है, परन्तु प्रथम दृष्टया इस साक्षी से उसके पुलिस कथन का सामना नहीं कराया गया है। किसी साक्षी का खंडन करने हेतु आवश्यक होता है कि उसे उसके पूर्ववर्ती कथन के कुछ अंशों का खंडन किया गया हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 की अपेक्षा के अनुसार, अभियुक्त के अधिवक्ता को पुलिस बयान में साक्षी के कथन के अंश को इंगित करते हुए उसके पुलिस बयान से सामना कराना चाहिए था, परन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। फिर भी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से स्वयं को संतुष्ट करने हेतु,

हमने पुलिस दैनंदिनी में दर्ज इस साक्षी के कथन का अवलोकन किया। मूलतः, देखा जाए तो इस साक्षी ने अपने पुलिस कथन में अभियुक्त को शौचालय में बंद करने, अन्य व्यक्तियों को बुलाने, तथा अभियुक्त को प्रातः तक शौचालय में रहने संबंधी समस्त महत्वपूर्ण बातें कही है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त को पानी दिया गया था, तत्पश्चात अभियुक्त ने आत्महत्या की धमकी दी, जिसके कारण उसे बाहर निकाला गया और जब मिल का मालिक आया, तब यह साक्षी उसकी ओर गया और अभियुक्त अवसर पाकर भाग गया। अतः मूलतः इस साक्षी के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है।

उपरोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुन्नालाल (अ०सा०-5) के इस साक्ष्य पर भरोसा करना कि अभियुक्त को उसने एवं कालिका प्रसाद श्रीवास्तव (अ०सा०-6) ने मिल में पकड़ा एवं उसे शौचालय में बंद किया गया, उचित था। अतः हम भी इस अभिमत से सहमत हैं कि मुन्नालाल (अ०सा०-5) द्वारा न्यायालय में की गई अभियुक्त की पहचान विधिसम्मत है और अभियुक्त वही व्यक्ति है जिसे अ०सा०-5 एवं अ०सा०-6 द्वारा शिवनाथ चावल मिल में पकड़ा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वितीय परिस्थिति :

जहाँ तक साइकिल की जब्ती का प्रश्न है, उक्त साइकिल को घटनास्थल से जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 के अनुसार जब्त किया गया था। जप्ती पत्रक के अनुसार, साइकिल रुंगटा चावल मिल, जो कि घटनास्थल है, से जब्त किया गया है। साइकिल के पीछे अभियुक्त प्रमोद सिंह, स्टेशन पारा, वार्ड क्रमांक 9 का नाम लिखा हुआ था। इस जब्ती के तथ्य को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है और इस तथ्य की पुष्टि देवलाल (अ०सा०-4) द्वारा किया गया है, जिसने कथन किया है कि उसके समक्ष एक साइकिल प्र०पी०-6 के अनुसार जब्त किया गया था। संजय पुंधीर (अ०सा०-14), विवेचना अधिकारी, ने भी यह कथन किया है कि एक एटलस कंपनी का साइकिल घटनास्थल से प्र०पी०-6 के अनुसार जब्त किया गया था और साइकिल के पीछे अभियुक्त का नाम अर्थात प्रमोद सिंह, स्टेशन पारा, वार्ड क्रमांक 9 अंकित था, जो वस्तु 'अ' है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि केवल इस आधार पर कि साइकिल के पीछे अभियुक्त का नाम अंकित है, यह स्थापित नहीं होता कि वह साइकिल अभियुक्त का ही है क्योंकि अभियोजन द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जो साइकिल घटनास्थल से जब्त हुआ है वह अभियुक्त का ही है।

यह सत्य है कि इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु कि साइकिल अभियुक्त का है, केवल अभियुक्त का नाम साइकिल के पीछे अंकित होने के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, यह तथ्य यथावत् है कि साइकिल घटनास्थल से जब्त किया गया था और उस पर अभियुक्त का नाम रंग से लिखा हुआ था। अतः इस परिस्थिति के आधार मात्र पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता, परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह परिस्थिति अन्य सिद्ध परिस्थितियों के साथ मिलकर अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु सहायक सिद्ध हो सकता है। यह सत्य है कि प्रमोद सिंह किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी हो सकता है किंतु अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्त को शिवनाथ चावल मिल, जो कि घटनास्थल है, में पकड़ा गया था और वहीं से जब्त साइकिल के पीछे अभियुक्त का नाम अंकित था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त का पता, जो कि प्रमोद सिंह, स्टेशन पारा, वार्ड क्रमांक 9 है, भी साइकिल के पीछे अंकित था। इससे यह तथ्य स्थापित होता है कि साइकिल अभियुक्त का ही है। अतः, यह परिस्थिति कि अभियुक्त का नाम साइकिल पर अंकित था तथा अभियुक्त को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और कोई भी व्यक्ति साइकिल का दावा करने हेतु प्रकट नहीं हुआ, निश्चित रूप से अभियुक्त के विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में स्वीकार्य है, जो उसे विचाराधीन अपराध से जोड़ता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तृतीय परिस्थिति :

जहाँ तक अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन के आधार पर मृतक के चप्पल की जब्ती का प्रश्न है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह कमरा जहाँ से चप्पल जब्त किया गया था, वह अभियुक्त का था। अतः अभियुक्त को विचाराधीन अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता है।

अभियुक्त ने दिनांक 10-03-1999 को पुलिस अभिरक्षा में मेमोरेंडम कथन प्र०पी०-8 दिया था, जबकि घटना दिनांक 8 व 9 मार्च, 1999 के मध्यरात्रि की है। उक्त मेमोरेंडम कथन में अभियुक्त द्वारा यह उद्घाटित किया गया था कि वह सुभाष का चप्पल ले लिया था और उसे अपने कमरे में रखा है, तथा इस अभियुक्त कथन के आधार पर अभियुक्त के कमरे से उक्त चप्पल जप्ती पत्रक प्र०पी०-7 के अनुसार जब्त किया गया है। देवलाल (अ०सा०-4) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि चप्पल प्र०पी०-7 के अनुसार जब्त किया गया था जिसके 'अ' से 'अ' भाग पर उसके हस्ताक्षर है। संजय पुंधीर (अ०सा०-14), विवेचना अधिकारी, ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा मेमोरेंडम कथन प्र०पी०-8 दिया गया था, जिसमें

उसने उद्घाटित किया था कि ₹400/- एवं चप्पल उसके कमरे में रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा देगा। साथ ही, उसने यह भी कथन किया था कि उसका पैंट एवं बनियान उसके कमरे में सूटकेस में रखा है, तथा अभियुक्त के इस कथनानुसार चप्पल को प्र०पी०-7 के अनुसार जब्त किया गया। उक्त चप्पल की शिनाख्त कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी श्री सुधीर तराम (अ०सा०-13) के समक्ष दिनांक 11-04-1999 को कराया गया था, जिसमें मृतक सुभाष के भाई दिनकर राव (अ०सा०-9) ने उक्त चप्पल की पहचान उसके भाई सुभाष (मृतक) के होने के रूप में किया है एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा शिनाख्त पंचनामा प्र०पी०-25 तैयार किया गया है।

दिनकर राव (अ०सा०-9), जो मृतक का भाई है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने चप्पल की पहचान की थी और वह चप्पल 5-6 अन्य चप्पल के जोड़ों के साथ मिलाई गई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसका भाई उपरोक्त चप्पल पहनता था, अतः उसे उक्त चप्पल की पहचान करने का पर्याप्त अवसर था। उसका भाई पिछले कुछ दिनों से यही चप्पल पहन रहा था और घर्षण के कारण चप्पल क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः वह चप्पल की पहचान करने में समर्थ था क्योंकि उसके भाई का चप्पल पीला रंग का था और घर्षण के कारण चप्पलों पर अँगूठे का निशान बन गया था, जिससे उसे उसकी पहचान करने में सुविधा हुई। चप्पल में जहाँ अँगूठा होता है, वहाँ दबाव का निशान मौजूद था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिकोण में, देवलाल (अ०सा०-4), संजय पुंधीर (अ०सा०-14) तथा मृतक का भाई दिनकर राव (अ०सा०-9) के साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि मृतक का चप्पल अभियुक्त के कथन पर उसके कमरे से जब्त किया गया था।

इस स्तर पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क पर आते हैं कि विवेचना अधिकारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह कमरा, जहाँ से चप्पल जब्त किया गया था, अभियुक्त का ही था। इस संबंध में संजय पुंधीर (अ०सा०-14) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 26 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उस कमरे का मालिक सत्तार है और अभियुक्त उस कमरे में किरायेदार के रूप में रहता था, जो स्टेशन पारा में स्थित है। अतः चप्पल अभियुक्त के निशानदेही पर उसके कमरे से जब्त हुआ है, अर्थात चप्पल अभियुक्त के कमरे में था तथा अभियुक्त को उसके बारे में जानकारी थी। अभियुक्त ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यदि उक्त चप्पल उसने वहां नहीं रखा था, तो उसे कमरे में रखे चप्पल के बारे में ज्ञात कैसे हुआ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश**, जो कि **2000 एस०सी०सी० (क्रि०) 263** में प्रकाशित है, में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि *जब*

कोई अभियुक्त यह बताए कि शव या कोई अभियोगात्मक वस्तु कहाँ छिपी हुई है, बिना यह कहे कि उसने उसे स्वयं छिपाया है, तो तीन संभावनाएँ होती हैं:- पहला यह कि उसने स्वयं उसे छिपाया हो, दूसरा यह कि उसने किसी और को छिपाते हुए देखा हो, और तीसरा यह कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने बताया हो कि वस्तु वहाँ छिपाई गई है। लेकिन यदि अभियुक्त दाण्डिक न्यायालय को यह बताने से इंकार करता है कि छिपाने की जानकारी उसे अंतिम दो संभावनाओं में से किसी एक के कारण थी, तो दाण्डिक न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि वह अभियुक्त द्वारा ही छिपाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह स्पष्टीकरण दे सकता है कि उसे इस तरह के छिपाव के बारे में कब और कैसे पता चला और यदि वह न्यायालय को यह बताने से बचना चाहता है कि उसे इसके बारे में कब और कैसे पता चला, तो दाण्डिक न्यायालय की यह उपधारणा कि छिपाव अभियुक्त द्वारा किया गया था, न्यायसंगत होगा। यह व्याख्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित सिद्धांत के विपरीत नहीं है।

इसी प्रकार वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने निशानदेही कैसे किया और उसे यह जानकारी कैसे थी कि मृतक का चप्पल उसी कमरे में रखा था जहाँ से उसे जब्त किया गया है। अतः उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह उपधारित किया जा सकता है कि उक्त चप्पल अभियुक्त द्वारा ही वहाँ रखा गया था।

इन परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह कमरा, जहाँ से चप्पल जब्त हुआ है, अभियुक्त के ज्ञान में नहीं था। भले ही, यह सिद्ध नहीं हुआ हो कि वह कमरा अभियुक्त का ही था, फिर भी अभियुक्त को विचाराधीन अपराध से इस आधार पर जोड़ा जा सकता है कि चप्पल अभियुक्त के कथन पर वहाँ से जब्त किया गया था, चाहे यह सिद्ध न भी किया गया हो कि वह मकान अभियुक्त का है अथवा नहीं। अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस स्थान से संपत्ति (चप्पल) जब्त हुआ हो, वह स्थान अभियुक्त के स्वामित्व का हो।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि मृतक का चप्पल अभियुक्त के निवास स्थान से उसके निशानदेही पर जब्त किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के धारा 114 में यह प्रावधानित है कि "न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अलवारिस एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो कि **ए०आई०आर० 1998 एस०सी० 1251** में प्रकाशित है, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि——

> "यदि मृतक के परिवार से संबंधित वस्तुएँ घटना के तुरन्त बाद अभियुक्त के पास से जब्त... ... ... अभियुक्त द्वारा कब्जे का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) के अधीन यह उपधारित किया जा सकेगा कि हत्या और डकैती एक ही संव्यवहार का हिस्सा थे, और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त ने ही हत्या और डकैती कारित किया था, किसी अन्य ने नहीं।"

वर्तमान प्रकरण में भी मृतक सुभाष का चप्पल घटना अर्थात सुभाष की हत्या होने के दो दिन के भीतर अभियुक्त के निशानदेही पर उसके निवास से जब्त किया गया था। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) के अधीन सुरक्षित रूप से यह उपधारित किया जा सकता है कि सुभाष की हत्या में अभियुक्त संलिप्त था।

चतुर्थ परिस्थिति :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जहाँ तक यह परिस्थिति है कि अभियुक्त की बनियान एवं पैंट पर मानव रक्त पाया गया है, तो यह तथ्य स्पष्ट है कि बनियान एवं पैंट को प्र०पी०-7 के अनुसार जब्त किया गया था, जिसकी पुष्टि देवलाल (अ०सा०-4) एवं विवेचना अधिकारी संजय पुंधीर (अ०सा०-14) द्वारा किया गया है। इन वस्त्रों को अभियुक्त के निवास स्थान से जब्त किया गया था। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त के पैंट एवं बनियान पर रक्त पाए गये हैं। इसी प्रकार, सीरम विज्ञानी के रिपोर्ट प्र०पी०-30 के अनुसार, अभियुक्त के पैंट एवं बनियान पर मानव रक्त पाए गये हैं।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अभियुक्त के बनियान एवं पैंट पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त समूह का है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अतः अभियुक्त को विचाराधीन अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता है।

यह सत्य है कि अभियुक्त के पैंट एवं बनियान पर पाया गया मानव रक्त किस रक्त समूह का था, यह अपघटन के कारण ज्ञात नहीं हो सका है, किंतु अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु यह एकमात्र परिस्थिति नहीं है। यह परिस्थिति अभियुक्त के विरुद्ध अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर उसे अपराध से जोड़ने हेतु उपयोगी है। अभियुक्त के बनियान एवं पैंट पर मानव रक्त पाया गया है और अभियुक्त के ओर से इस रक्त के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो यह निश्चित रूप से एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में अभियुक्त को विचाराधीन अपराध से जोड़ती है। चूंकि बनियान एवं पैंट से रक्त का अपघटन हो गया था, अतः रक्त की उत्पत्ति का ज्ञात नहीं

हो सका।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम एवं अन्य, जो कि (1999) 3 एस०सी०सी० 507 में प्रकाशित है, के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि-

> "यदि सीरम के अपघटन के कारण सीरम विज्ञानी रक्त की उत्पत्ति ज्ञात नहीं कर पता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि टंगिया पर जो रक्त लगा था वह मानव रक्त नहीं था।
>
> ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक मामले में, जहाँ रक्त की उत्पत्ति ज्ञात करने में विफलता रही हो, वहाँ हथियार की जब्ती से उत्पन्न परिस्थिति व्यर्थ सिद्ध होंगे।"

वर्तमान प्रकरण में, सीरम विज्ञानी के रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के पैंट एवं बनियान पर मानव रक्त पाया गया तथा अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके पैंट एवं बनियान पर मानव रक्त कैसे लगा। यह अभियुक्त के विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, उपरोक्त कारणों से, हमारा यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष विधिपूर्ण एवं निर्णायक साक्ष्य सहित यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि अभियुक्त को उस दुर्भाग्यपूर्ण रात शिवनाथ राइस मिल में पकड़ा गया था, जिसकी पहचान मुन्नालाल (अ०सा०-5) ने की थी, उन्होंने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे थे, अभियुक्त की साइकिल भी घटनास्थल पर मिली थी, अभियुक्त की बनियान और पैंट मानव रक्त से सना हुआ पाया गया था, और मृतक का चप्पल अभियुक्त की निशानदेही पर उसके निवास स्थान से बरामद किया गया था। अतः, यह सभी परिस्थितियाँ निर्णायक रूप से उस श्रृंखला को पूर्ण करती है जो निश्चित रूप से अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इंगित करता है और इस आधार पर यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि अभियुक्त ही विचाराधीन अपराध का रचयिता था और अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा का प्रश्न अपराध कारित करना सम्भाव्य नहीं था। इन परिस्थितियों में, सुभाष की हत्या हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध करने एवं दंडादेश देने के विचरण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि या विसंगति नहीं है।

जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 397 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य हेतु उपस्थित उप-शासकीय अधिवक्ता यह नहीं दर्शा सके हैं कि उक्त दोषसिद्धि किसी विधिसम्मत साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जो मुद्रा नोट जब्त हुआ था, वह अभियुक्त द्वारा सुभाष से लूट उपरांत प्राप्त किया गया था। अतः

	भारतीय दंड संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 397 के अधीन अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, अभियुक्त/अपीलार्थी का अपील आंशिक रूप से सफल होता है एवं इसे आंशिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 397 भारतीय के अधीन उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश की सीमा तक स्वीकार किया जाता है। परंतु जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश का प्रश्न है, उन्हें यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 397 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है एवं उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। ।

हस्ताक्षरित/-
श्री एल.सी. भादू
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-
श्री धीरेंद्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिसाबित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Soumitra Kesharwani, Advocate